न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 सूरज सिंह नेगी

सिविल प्रकरण संख्याः– 18 / 2020 तारीख रजू :–16.09.2020

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।

..........आवेदक

बनाम

1. अभिषेक गोयल पुत्र श्री सीताराम गोयल (एफबीओ व मौके पर विक्रेता) फर्म प्रभूदयाल घनश्याम गोयल निवाई रोड बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर निवासी खिरनी रोड, बौंली तहसील बौंली पुलिस थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर
2. घनश्याम गोयल पुत्र श्री मौजीराम गोयल, (मालिक) फर्म– प्रभूदयाल घनश्याम गोयल, निवाई रोड, बौंली, तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर निवासी खिरनी रोड, बौंली तहसील बौंली पुलिस थाना बौंली जिला सवाई माधोपुर

..........अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णयः– दिनांक 6/7/22

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन (आवेदक) ने अन्तर्गत धारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 12.02.2020 को समय लगभग 12.45 पी.एम. पर फर्म– प्रभूदयाल घनश्याम गोयल, निवाई रोड, बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर पर श्री राजीव सैन, सामाजिक कार्यकर्ता, एन.टी.पी.सी. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के साथ निरीक्षण हेतु पहुंचा। वहा पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक गोयल पुत्र श्री सीताराम गोयल बताया व स्वयं को फर्म पर विक्रेता तथा घनश्याम गोयल को फर्म का मालिक होना बताया। अभिषेक गोयल को आवेदक ने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से परिचय, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र/खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की गई। तत्पश्चात् विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया। दुकान में खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक विक्रय हेतु प्रदर्शित था। दुकान में खाद्य वस्तु **देशी घी (श्री कृ[illegible] 500 मिली.** के 6 पेकिट विक्रय हेतु रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं [illegible] जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5a की प्रति स्वतंत्र गवाह [illegible] विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा [illegible] **देशी घी (श्री कृष्णा [illegible] 500 मिली. पैक** के 06 पैकिटों में से 4 पैकिट शुद्धता व लेबल की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् क्रय कर राशि 800/– रूपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
सवाई माधोपुर

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य वस्तु **देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक** के चारो पैकिटों को चार लेबल तैयार करके उन पर स्थान, दिनांक, खाद्य वस्तु आदि लिखकर आवेदक के हस्ताक्षर कर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को प्रत्येक पैकिट पर अलग–अलग चिपकाकर, पैकिटों को अलग–अलग ब्राउन पेपर से लपेटकर, पेपर के सिरों को गोंद से चिपकाकर पैकिटों पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर द्वारा प्रदत्त एवं हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप मय कोड नम्बर H–1769 गोंद से नियमानुसार प्रत्येक पेकिट पर चिपकाकर, प्रत्येक पेकिट को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह चपड़ी से सील मोहर करके चारो पैकिटों पर यथास्थान विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं सीलबन्द पैकिटों को अपने कब्जे में लिया। दुकान पर मौके पर मौजूद विक्रेता अभिषेक गोयल से उक्त खाद्य वस्तु के माल खरीद बिल/वारन्टी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैंने यह माल बिल के जरिये खरीदा है जिसका बिल आवेदक के कार्यालय में पेश कर दूंगा। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं0 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर उस सील का इम्प्रेशन लगाया जिससे मौके पर नमूना सील बन्द किया गया था। उक्त फार्म नम्बर 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में लपेटकर सील मोहर कर तथा अलग से फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियॉ एक लिफाफे में सील मोहर कर, आउटर कवर में सील बन्द पैकिट व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा श्री मौहम्मद असलम वार्ड बॉय कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के द्वारा दिनांक 13.02.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर (राजस्थान) के यहां जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। नमूने के दो सील बन्द पैकिट (ii व iii पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियों को एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर तथा नमूने का शेष एक सील बन्द पैकिट (iv पार्ट) व फार्म नम्बर 6 की एक प्रति को अलग से एक आउटर कवर में लपेट कर सील मोहर कर दिनांक 13.02.2020 को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को आवेदक द्वारा जमा करवाकर रसीद प्राप्त की गई। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने अपने रजिस्टर्ड पत्र कमांक एफएसएसए/2020/390 दिनांक 04.03.2020 के द्वारा उक्त नमूने की खाद्य विशलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/271/एक्ट/2020/334 दिनांक 26.02.2020 खाद्य कारोबारकर्ता को रजिस्टर्ड डाक से भेजते हुए एक प्रति आवेदक को दी गई जिसके अनुसार उक्त खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standrard Food) एवं Containing Extraneous Matter प्रकृति का पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक 576 दिनांक 07.04.2020, 848 दिनांक 06.07.2020 व 1028 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा फर्म प्रभूदयाल घनश्याम गोयल, निवाई रोड, बौंली के विक्रेता व मालिक को उक्त खाद्य वस्तु के माल खरीद बिल एवं फर्म के अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने बाबत् पत्र लिखे किन्तु उनके द्वारा माल खरीद बिल उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अनुसंधान पश्चात उक्त प्रकरण से सम्बन्धित समस्त कागजात अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर [illegible] श किये जिन्होंने प्रकरण के तमाम कागजात पर गौर फरमाकर अपने अभियोजन [illegible] एफएसएसए/2020/1314 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर

यह है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (Sub Standard Food) एवं Containing Extraneous Matter प्रकृति की **खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500**

मिली. पैक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि क्रमशः धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। उक्त नमूने के संबंध में कोई माल खरीद बिल/इन्वाइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्तगण की ओर से श्री सुरेन्द्र गुप्ता एड0 के द्वारा वकालतनामा पेश किया गया।

अभियोजन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में यह तथ्य अंकित किए गए हैं कि विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ताओं ने अवमानक स्तर (Sub Standard Food) एवं Containing Extraneous Matter प्रकृति की **खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि क्रमशः धारा 51 व 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। उक्त नमूने के संबंध में कोई माल खरीद बिल/इन्वाइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) का उल्लंघन है जो कि धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में तर्क दिया है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राजपत्र प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 25 जुलाई 2011 के अनुसार कथित खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त होना बताया है जबकि उक्त नोटिफिकेशन के देखने मात्र से यह स्पष्ट होता है कि श्री प्रेमचन्द जैन का पदनाम एल टी अंकित है जबकि खाद्य सुरक्षा स्टैण्डर्ड रूल्स 2011 के अनुसार श्री प्रेमचन्द जैन इस पद के लिये अधिकृत नहीं है। यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज में अप्रार्थी सं0 2 के हस्ताक्षर नही करवाये है। यह है कि परिवाद पत्र के साथ जो रजिस्ट्रेशन कोपी प्रस्तुत किया गया है उसमें अभियुक्त संख्या 2 व फर्म मालिक घनश्याम गोयल का नाम दर्ज है जबकि घनश्याम गोयल के हस्ताक्षार नमूना बिल पर नहीं है। इस परिवाद पत्र खारिज योग्य हे। अपनी बहस के अंत में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही को रंजिशवश एवं सरकारी आंकडो को पूरा करने के उद्देश्य से की गई बताकर प्रकरण में उनके पक्षकारों को दोषमुक्त कर प्रकरण को ड्रोप करने हेतु निवेदन किया गया।

उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनी गई व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द जैन को निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांकः एफएसएसए/2018/444 दिनांक 14.05.2018 के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर के पद पर पदस्थापन किया गया था अतः अभियुक्त गण के अधिवक्ता द्वारा जबाव में प्रस्तुत कथन कि आवेदक श्री प्रेमचन्द जैन को खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिये अधिकृत व्यक्ति नहीं है मान्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि अभियुक्त संख्या 1 अभिषेक गोयल फर्म प्रभुदयाल घनश्याम [illegible] निवाई रोड बौंली तहसील बौंली पर फर्म के आवेदक द्वारा निरीक्षण दिनांक [illegible]-02-2020 के [illegible] बतौर विक्रेता मौजूद था तथा के तथा फर्म का खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र व समस्त कार्यवाही में उपस्थित था जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तत्समय वह अभियुक्त संख्या 2 फर्म मालिक द्वारा अधिकृत विक्रेता था। इसलिये अभियुक्त गण के अधिवक्ता का कथन कि अभियुक्त संख्या 2 के हस्ताक्षर कार्यवाही के दौरान नहीं लिये गये तथा अभियुक्त संख्या 2 को सुनवाई का अवसर नही दिया गया मान्य नहीं है। उभय पक्ष के आवेदन पत्र/बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दस्तावेजात का अवलोकन करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested

के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/271/एक्ट/2020/334 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जॉच विक्रय किया गया **खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक** अवमानक स्तर (Sub Standard Food) एवं Containing Extraneous Matter प्रकृति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) पाया है। न्याय निर्णयन आवेदन पत्र के संलग्न खाद्य विश्लेष्क जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल एस/271/एक्ट/2020/334 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार अभियुक्त गण द्वारा विक्रय किये गये खाद्य **वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक food containing extaneous mater due to presence of sesame oil or vanaspati मिलावट पाई गयी है। मेरी राय मे** इस तरह की मिलावटी खाद्य वस्तु आम जनता के स्वास्थ्य के लिये बेहद हानिकारक है। अतः अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अति गंभीर अपराध की श्रेणी का मानता हूं।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) तथा उक्त नमूने के संबंध में कोई माल खरीद बिल/इन्वाइस/वारंटी उपलब्ध नहीं करायी गई जो कि एफएसएसए एक्ट 2006 की धारा 27(2)(d) के अन्तर्गत अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 व 54 व 58 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्त को **खाद्य वस्तु देशी घी (श्री कृष्णा डेयरी) 500 मिली. पैक** अवमानक स्तर (Sub Standard Food) एवं Containing Extraneous Matter प्रकृति (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)) का विक्रय करने तथा उक्त नमूने के संबंध में कोई माल खरीद बिल/इन्वाइस/वारंटी उपलब्ध नहीं कराने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 और विनियम 2011 के नियम 51,54 व 58 के अन्तर्गत अभियुक्त संख्या 1 पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) तथा अभियुक्त संख्या 2 पर 25,000/–रू0 (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिरोपित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर–अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट द्वारा न्याय निर्णयन अधिकारी को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक....6/7/22....को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.01.30 13:29:41 IST
Reason: SelfAttested